अध्याय - III

प्रतिपूरक वनीकरण निधियों का संग्रहण

3.1. प्रस्तावना

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियो से धन संग्रहीत किया जाना था जिसमें गैर वन उपयोग हेतु विपथित वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनरोपण (सीए), अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण (एसीए), दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण (पीसीए), जलग्रहण क्षेत्र संसाधन (सीएटी) योजना आदि के लिए धन शामिल किया गया। 2002 तक यह निधियां प्रतिपूरक वनरोपण, अग्रिम मिटटी कार्य, अनुरक्षण आदि कार्यकलाप करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत तथा रखी जा रही थीं।

2001 में उच्चतम न्यायालय ने महसूस किया कि प्रतिपूरक निधि के लिए जमा निधियों का बहुत कम उपयोग हुआ और प्रतिपूरक वनरोपण की एक बड़ी राशि प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा वसूल नहीं की गई। आगे पाया गया कि प्रतिपूरक वनरोपण हेतु राज्य सरकारों को प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा धन दिया गया किंतु पुनर्वनरोपण के लिए उपयोग की गई राशि, राज्य सरकारो द्वारा प्राप्त राशि का केवल 83 प्रतिशत ही था और लगभग ₹ 200 करोड़ के करीब कमी रही थी। 29 अक्तूबर 2002 को उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रयोक्त एजेंसी गैर वन प्रयोजनों हेतु विपथित वन भूमि के निवल मूल्य का वन की मात्रा व घनत्व के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण निधि में भुगतान करेगी।

उच्चतम न्यायालय ने अपने 29 अक्तूबर 2002 के आदेश में प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के प्रबन्धन के लिए निकाय बनाने का निर्देश देते हुए यह आदेश भी दिया कि प्रतिपूरक वनरोपण के प्रति प्राप्त राशि जो कि खर्च नही की गई अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पड़ी कोई शेष राशि अथवा कोई राशि जो प्रयोक्ता एजेंसी से अभी वसूल की जानी थी, भी इस निधि में जमा की जाएगी। 5 मई 2006 को तदर्थ कैम्पा के सृजन का आदेश देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सेन्ट्रल ऐमपावरड कमेटी (सीईसी) के सुझावों को भी स्वीकार किया कि तदर्थ निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि कैम्पा के लिए प्राप्त सभी धन राशि और जो राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास वर्तमान में पड़ी है, इस निकाय द्वारा खोले गए बैंक खाते (तो) में अन्तरित किया जाए।

2002 में उच्चतम न्यायालय को अपनी अनुशंसाओ में सीईसी ने उल्लेख किया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कथन के अनुसार मार्च 2002 तक ₹ 859.29 करोड़ जो प्रयोक्ता एजेंसियों से वसूल किया जाना था, के प्रति अभी तक ₹ 793.86 करोड़ वसूल किया गया और प्रतिपूरक वनरोपण पर वास्तव में ₹ 496.22 करोड़ खर्च किया गया। इसलिए यह परिकलित किया गया कि 2002 में प्रतिपूरक वनरोपण का ₹ 297.64 करोड़ राज्य सरकारों के पास पड़ा था और ₹ 65.43 करोड़ प्रयोक्ता एजेंसियों से अभी वसूल किए जाने थे। 2006 तक जब तदर्थ कैम्पा प्रचालन में आए तब संचय ₹ 1,200 करोड़ से अधिक हो गया जैसा कि आरम्भिक वर्ष में तदर्थ कैम्पा निधियों के अन्तरण से स्पष्ट था।

3.2. राज्य सरकारों द्वारा तदर्थ कैम्पा को निधियों का अन्तरण

उच्चतम न्यायालय के 5 मई 2006 के आदेश के अनुसार तदर्थ कैम्पा को सुनिश्चित करना था कि कैम्पा की बाबत वसूल किया गया और राज्य सरकारों के पास पड़ा सभी धन इस निकाय द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बैंक लेखाओ को अन्तरित किया जाना था। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 के अनुसार 30 अक्तूबर 2002 से संग्रहीत राशि का कथित तदर्थ निकाय को लेखांकित तथा भुगतान करना था।

तदनुसार, तदर्थ कैम्पा ने राष्ट्रीयकृत बैंको में राज्य विशिष्ट बैंक खाते खोलने का प्रबंध किया । वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार गैर वन उपयोग हेतु वन भूमि के विपथन के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से राज्यों द्वारा संग्रहीत धन इन लेखाओं में जमा किया गया।

2006 से तदर्थ कैम्पा ने कारपोरोशन बैंक, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली में 37 चालू खाते (राज्यों/यूटी से संबंधित 35 चालू खाते, तदर्थ कैम्पा के प्रबंधन व्यय से संबंधित दो चालू खाते) और यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दर नगर, नई दिल्ली में 33 चालू खाते (राज्यों/यूटी से संबंधित 32 चालू खाते, और एक मुख्य खाता) प्रचालित किए गए। इसके अलावा, मार्च 2011 में कारपोरेशन बैंक में 37 बचत बैंक खाते (राज्यों/यूटी से संबंधित 35 बचत बैंक खाते, एक मुख्य खाता और तदर्थ कैम्पा के प्रबन्धन व्यय से संबंधित एक बचत बैंक खाता) और यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सुन्दर नगर, नई दिल्ली में 33 बचत बैंक खाते (राज्यों/यूटी से संबंधित 32 बचत बैंक खाते और एक मुख्य खाता) खोले गए।

तदर्थ कैम्पा द्वारा अपनाई गई लेखाकरण अवधि 1 जुलाई से 30 जून थी। इसे लेन देन अवधि होने के कारण वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष के समान करने के लिए 30 जून 2012 से बदला गया।

3.2.1. निधियों के संग्रहण तथा अन्तरण के संबंध में तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देश

तदर्थ कैम्पा ने अपनी शासी निकाय की हैसियत से, समय समय पर, अपनी क्रमिक बैठकों में निधियों के संग्रहण तथा अन्तरण से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राज्यों/यूटी द्वारा भेजे जाने के लिए देय धन वसूल, अन्तरित तथा लेखांकित किया जाए इन निर्देशों तालिका 18 में दिया गया हैं।

तालिका 18 : तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देश तथा टिप्पणियां

बैठक की तिथि	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देश तथा टिप्पणियां
7 जुलाई 2006	सम्बन्धित राज्य/यूटी सरकारों के साथ प्राप्तियों का अवाधिक मिलान अनिवार्य माना गया था। यह निर्णय लिया गया कि : • तदर्थ निकाय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से एक प्राप्ति खाता खोला जाए जिसे इसके मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण के अन्तर्गत उचित रूप से अनुरक्षित किया जाए। राज्य/यूटी, कारपोरेशन बैंक तथा तदर्थ कैम्पा के साथ प्राप्तियों के अन्योन्य संदर्भ के लिए एक उपयुक्त तन्त्र भी वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विकसित किया जाए।

बैठक की तिथि	तदर्थ कैम्पा द्वारा जारी निर्देश तथा टिप्पणियां
	• राज्य/यूटी सरकारों से प्राप्त निधियों का मासिक विवरण मिलान के लिए उन्हे वापस भेजा जाए।
27 नवम्बर 2006	• वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रत्येक मामले के संबंध में प्राप्य धन वास्तव में प्राप्त धन, प्राप्य ब्याज की राशि, प्राप्त ब्याज की राशि, तदर्थ कैम्पा को अन्तरित किए जाने वाला धन और वास्तव में अन्तरित धन के ब्यौरे संकलित किए जाएं। • अनुमोदित प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए कि सूचना तदानुसार संकलित और लेखापरीक्षित की गई तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30 अक्तूबर 2002 के अनुसार प्राप्य धन के संबंध में लेखापरीक्षा की गई थी। • यह भी देखा गया कि यद्यपि 24 नवम्बर 2006 तक तदर्थ कैम्पा द्वारा ₹ 2,414.09 करोड़ की राशि प्राप्त की गई, प्राप्य धन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे और इसलिए तदर्थ कैम्पा को राज्यों/यूटी द्वारा अन्तरित की जाने वाली शेष राशि से सम्बन्धित कोई दृष्टिकोण संभव नहीं था।
20 जून 2007	यह देखा गया कि विभिन्न राज्यों/यूटी से तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त निधियों से सम्बन्धित राशियों का राज्य/यूटी स्तर पर उपलब्ध राशियों के साथ अभी तक मिलान नहीं किया गया। चूंकि तदर्थ कैम्पा स्तर पर अर्थपूर्ण फारमेट में राशियां संकलित नहीं की गई इसलिए ऐसा मिलान में सम्भव नहीं था।

तदर्थ कैम्पा की बैठकों के कार्यक्रमों के उपर्युक्त सार से यह स्पष्ट है कि शासी निकाय ने न केवल राज्यों/यूटी से प्राप्य तथा प्राप्त धन के अभिलेख अनुरक्षित किए जाने चाहिए, के बारे में निर्देश जारी किए के संबंध में विशेष तथा प्रत्येक प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्य सभी राशियां संग्रहीत तथा लेखांकित की भी जानी चाहिए, सुनिश्चित करने के लिए मामलावार अभिलेख बनोने के लिए भी निर्देश जारी किए। इसे इस संबंध में राज्यों/यूटी के अभिलेखों तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा रखे अभिलेखों के बीच मिलान की कमी के बारे में भी ध्यान दिया गया। तथापि हमने पाया कि स्थिति को आश्चर्यजनक रूप से परिस्थतियों पर छोड़ दिया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेशों कि संग्रहीत तथा राज्य/यूटी सरकारों के पास अप्रयुक्त अथवा संग्रहीत किए जाने वाली प्रतिपूरक वनरोपण निधि से सम्बन्धित सभी निधियां तदर्थ कैम्पा लेखे को अन्तरित की गई, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण तथा निगरानी की प्रणाली आरम्भ करने के कार्यकारी उत्तरदायित्वों से पारित सदस्यों द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। यह निधियों के अन्तरण के तदर्थ कैम्पा तथा राज्य/यूटी के अभिलेखों में विसंगतियों, अन्तरणों में असाधारण विलम्ब और राज्य सरकार लेखाओं में निधियों को लगातार अपने पास रखने के उदाहरणों के हमारे निष्कर्षों से स्पष्ट था। ऐसी लेखापरीक्षा आपत्तियों के ब्यौरे आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि तदर्थ कैम्पा का अस्तित्व पूर्णतया अस्थाई था और लेखा फारमेट/प्रणालियां जो तदर्थ कैम्पा द्वारा अपनाई जानी चाहिए थीं आज की तारीख तक सीएजी/महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि तदर्थ कैम्पा पूर्णतया अस्थाई था परंतु इसका सृजन मई 2006 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किया गया था, जिसने वसूल किए जा रहे/राज्य के पास पड़े सभी धन का अन्तरण और उसकी लेखापरीक्षा कराना सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ कैम्पा को बाध्यकारी भी बनाया था। यह उत्तर कि लेखाओं का फारमेट सीएजी/ सीजीए द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था, मान्य नहीं है क्योंकि सितम्बर 2005 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार दोहरी प्रविष्टि के सिद्धान्तों पर आधारित निगम लेखाकरण तदर्थ कैम्पा द्वारा अपनाया जाना चाहिए था। इसकी मार्च 2007 की कैम्पा (संशोधन) अधिसूचना द्वारा भी पुष्टि की गई थी।

3.2.2. तदर्थ कैम्पा की राज्यों/यूटी द्वारा अन्तरित निधियों की स्थिति का मिलान न करना

उच्चतम न्यायालय के मई 2006 के आदेश में यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तदर्थ कैम्पा को दिया गया कि कैम्पा की बाबत वसूल किया गया और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास पड़ा सभी धन इस निकाय द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बैंक खाते (तों) में अन्तरित किया जाए।

हमारी लेखापरीक्षा में पता चला कि प्राप्तियों के उचित अभिलेख बनाने और आवधिक मिलान के संबंध में 2006 तथा 2007 में तदर्थ कैम्पा को जारी निर्देशों के बावजूद मई 2013 तक ऐसा कोई मिलान नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त निधियों के रूप में सूचित और राज्य कैम्पा/नोडल अधिकारियों से संग्रहीत ब्यौरों के अनुसार राज्य/यूटी द्वारा अन्तरित किए जाने को दावित निधियों की स्थिति में बड़ी विसंगतियां हुईं। विसंगतियों के ब्यौरे तालिका 19 में हैं।

तालिका 19 : राज्य/यूटी द्वारा अन्तरित के रूप में सूचित राशियों तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्ति के रूप में सूचित राशियों में विसंगतियां।

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा के जमा की गई राशि[20]	राज्य कैम्पा के अनुसार तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	प्रतिशतता अन्तर	अभ्युक्तियां
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	12.63	11.27	10.77	
2	आंध्रप्रदेश	2,514.35	2,105.54	16.26	2006–12 की अवधि के लिए
3	अरूणाचल प्रदेश	731.92	438.82	40.05	
4	असम	327.13	157.82	51.75	
5	बिहार	195.90	172.34	12.03	
6	चण्डीगढ़	2.09	2.35	-12.44	
7	छत्तीसगढ	2,491.30	1,114.81	55.25	

[20] यह राशि 31 मार्च 2012 को तदर्थ कैम्पा के पास ₹ 20,063 करोड़ की मूल राशि और तदर्थ कैम्पा को अन्तरित के रूप में राज्य/यूटी कैम्पा द्वारा बताई गई राशियों के साथ इसे तुलनीय बनाने के लिए 2009–12 के दौरान राज्यों/यूटी को जारी राशि अर्थात ₹ 2,829 करोड़ भी शामिल करती है।

क्रं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा के जमा की गई राशि[20]	राज्य कैम्पा के अनुसार तदर्थ कैम्पा को अन्तरित राशि	प्रतिशतता अन्तर	अभ्युक्तियां
8	दिल्ली	35.77	34.76	2.82	
9	गोवा	146.29	146.97	-0.46	
10	गुजरात	663.51	583.49	12.06	
11	हरियाणा	343.17	280.00	18.41	2006–12 की अवधि के लिए
12	हिमाचल प्रदेश	1,084.72	628.44	42.06	राज्य निश्चित नहीं हैं कि कितनी राशि तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई।
13	जम्मू–कश्मीर	138.43	365.90	-	₹ 291.85 करोड़ को एफडीआर तदर्थ कैम्पा को गिरवी रखी गई
14	झारखण्ड	2,014.76	1,598.32	20.67	
15	कर्नाटक	930.31	836.39	10.10	
16	केरल	24.50	30.99	-26.48	
17	मध्यप्रदेश	1,285.21	902.53	29.78	
18	महाराष्ट्र	1,753.15	738.45	57.88	
19	मणिपुर	34.55	34.59	-0.12	
20	मेघालय	90.36	90.36	0.00	
21	मिजोरम	10.62	10.62	0.00	
22	ओडिशा	4,394.16	3,697.26	15.86	
23	पंजाब	439.58	286.33	34.86	
24	राजस्थान	794.28	354.75	55.34	राशि केवल 28 नमूना जांचित मण्डलों के लिए उपलब्ध
25	सिक्किम	195.49	178.86	8.50	2006–12 की अवधि के लिए
26	तमिलनाडु	30.24	27.02	10.65	
27	त्रिपुरा	82.49	57.43	30.38	
28	उत्तरप्रदेश	643.10	584.52	9.11	
29	उत्तराखण्ड	1,364.85	1,296.96	4.97	
30	पश्चिम बंगाल	110.90	95.99	13.44	
	कुल	**22,885.76**	**16,863.88**	**26.31**	

समान लेनदेन को प्रदर्शित करने वाले अभिलेखों के दो स्वतन्त्र सैट, जैसा वर्तमान मामले में है, का मिलान यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण नियंत्रण तन्त्र था कि निधियों की प्राप्तियों/अन्तरणों के अभिलेख पूर्ण तथा सही हो। राज्यों/यूटी द्वारा अन्तरित किए जाने के लिए दावित राशियों तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त सूचित राशियों के बीच महत्वपूर्ण असमाशोधित अन्तर नियंत्रणों में शिथिलता के संकेत हैं। समाशोधित आंकड़ो के एकल सेट के अभाव में यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि संग्रहीत तथा राज्यों/यूटी के पास अप्रयुक्त पडीं सभी प्रतिपूरक वनरोपण निधियां तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई जैसा 5 मई 2005 के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राज्य/यूटी से प्राप्त राशियों के ब्यौरों के मिलान की प्रक्रिया चल रही है और समाशोधित अनुसूची/खाते लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

3.2.3. तदर्थ कैम्पा को प्रेषित न की गई निधियां

उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 मई 2006 के आदेश के अनुसार सभी धन जो कैम्पा की बाबत प्राप्त किया गया था और जो राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास वर्तमान में पड़ा था, तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बैंक खाता (तों) को अन्तरित किया जाना था।

हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने कि राज्यों/यूटी द्वारा संग्रहीत प्रतिपूरक वनरोपण की सभी राशियां तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की गई थीं, के लिए प्रत्येक राज्य/यूटी द्वारा प्राप्य राशियों, वसूली गई राशियों और प्रेषित राशियों का केन्द्रीयकृत परियोजना वार डाटा बेस तैयार नहीं किया गया। जबकि 26 नवम्बर 2006 को आयोजित अपनी बैठकों में इस संबंध में तदर्थ द्वारा कैम्पा निर्देश गए थे।

राज्य कैम्पा के नोडल अधिकारियों तथा लेखापरीक्षा में नमूना जांचित मण्डलों (जहां नोडल अधिकारियों ने सूचना मुहैया नहीं की,) से संग्रहीत ब्यौरों से हमने देखा कि लेखापरीक्षा में शामिल किए गए 30 में से 23 राज्यों/यूटी के राज्य कैम्पाओं ने आज तक (जनवरी 2013) तदर्थ कैम्पा को ₹ 401.70 करोड़ प्रेषित नहीं किए। राज्य/यूटी तथा प्रेषित न की गई राशियों के ब्योरे तालिका 20 में दिए गए है।

तालिका 20 : राज्यों/यूटी के ब्यौरे जिन्होने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रतिपूरक वनरोपण निधियां प्रेषित नहीं कीं।

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा को प्रेषित न की गई राशि
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.45
2	अरूणाचल प्रदेश	5.06
3	असम	50.81
4	बिहार	1.44
5	चण्डीगढ़	0.04
6	छत्तीसगढ़	0.17
7	गोवा	1.33

क्र सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा को प्रेषित न की गई राशि
8	हरियाणा	18.94
9	हिमाचल प्रदेश	21.51
10	जम्मू–कश्मीर*	59.83
11	झारखण्ड**	28.06
12	कर्नाटक	9.66
13	केरल**	1.80
14	महाराष्ट्र**	0.04
15	मणिपुर	0.50
16	मेघालय	61.58
17	मिजोरम	16.62
18	ओडिशा	18.37
19	राजस्थान**	30.57
20	तमिलनाडु	19.45
21	उत्तरप्रदेश	23.50
22	उत्तराखण्ड **	24.12
23	पश्चिम बंगाल	7.85
	कुल	**401.70**

**जम्मू – कश्मीर के लिए सी ए राज्य कैम्पा द्वारा रखा जाना था। तालिका में इंगित राशि केवल एनपीवी के लिए है। 2007 से पहले के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।*

***इन राज्यों में नोडल अधिकारियों द्वारा सूचना दी नहीं गई। इसलिए यह नमूना जांच आधार पर मण्डलों से संग्रहीत की गई थी अर्थात झारखण्ड – पांच मण्डल, केरल – दो मण्डल, महाराष्ट्र–एक मण्डल, राजस्थान – 28 मण्डल तथा उत्तराखण्ड –13 मण्डल*

जैसा तालिका 20 में सूचित, अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामों से स्पष्ट है, कि लेखापरीक्षा में शामिल किए गए 30 राज्यों/यूटी में से 23 राज्यों /यूटी ने तदर्थ कैम्पा को सीएएफ का कुछ भाग प्रेषित नहीं किया जो उच्चतम न्यायालय के उन आदेशों का उल्लंघन था जिसके अनुसार कि ऐसी सभी निधियां केन्द्रीय निकाय को अन्तरित की जानी चाहिए थी। प्राप्य, वसूल की गई और तदर्थ कैम्पा को या तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तदर्थ कैम्पा अथवा राज्य कैम्पा के पास प्रेषित मामलावार राशि के केन्द्रीयकृत डाटा बेस के अभाव में यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि तालिका 20 में सूचित ₹ 401.70 करोड़ तदर्थ कैम्पा को प्रेषित न की गई सीएएफ की कुल राशि है। तदर्थ कैम्पा राशियों जो राज्यों/यूटी के पास पडी थीं, को निर्धारित करने की प्रणाली स्थापित करने और तदर्थ कैम्पा लेखाओं को सम्पूर्ण निधियों का अन्तरण सुनिश्चित करने में भी असफल रहा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि तदर्थ कैम्पा सम्बन्धित राज्य/यूटी के साथ मामला उठाएगा। तथापि यह तथ्य शेष रहता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तदर्थ कैम्पा की विभिन्न बैठकों में इस विषय पर की जा रही चर्चा तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद राज्य/यूटी सरकारों से बकाया प्राप्यों को वसूल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए।

3.2.4. राज्य सरकारों द्वारा अपने पास रखी गई निधियां

30 अक्तूबर 2002 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण निधि संघ, राज्यों के सामान्य राजस्व का भाग अथवा भारत की समेकित निधि में शामिल नहीं होनी थी। प्रतिपूरक वनरोपण निधियां जो अभी तक वसूल नहीं की गई थीं तथा राज्यों द्वारा पहले ही वसूल कर ली गई अव्ययित निधियां कैम्पा को अन्तरित की जानी थीं। 2009 में जारी राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशों में भी स्पष्ट किया गया कि राज्य कैम्पा प्रतिपूरक वनरोपण तथा एनपीवी के प्रति उपचित निधियों को सामान्य जमा कर्ता के रूप में कार्य करेगा। इसलिए प्रतिपूरक वनरोपण निधियां सभी स्थितियों में राज्य/यूटी सरकार की निधियों से अलग रखी जाएं।

30 राज्य/यूटी में अभिलेखों की हमारी नमूना जांच में पता चला कि 16 राज्य/यूटी में ₹ 186.32 करोड़ की कैम्पा निधियां अक्तूबर 2002 के बाद राज्य लेखाओं में जमा की गई जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन था। राज्य/यूटी वार ब्यौरे तालिका 21 में दिए गए हैं।

तालिका 21 : राज्य लेखाओं को प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के अन्तरण के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	राज्य/यूटी	राज्य खाते में जमाएं
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.11
2	अरूणाचल प्रदेश	5.06
3	असम	26.64
4	बिहार	1.44
5	छत्तीसगढ़	0.17
6	हरियाणा	18.94
7	हिमाचल प्रदेश	21.51
8	झारखण्ड	28.06
9	कर्नाटक	9.66
10	मेघालय	0.06
11	ओडिशा	13.61
12	राजस्थान	1.91
13	तमिलनाडु	19.45
14	उत्तर प्रदेश	22.93
15	उत्तराखण्ड	8.92
16	पश्चिम बंगाल	7.85
	कुल	**186.32**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि उपर्युक्त राशियों के वर्षवार ब्यौरे सम्बन्धित राज्य/यूटी के साथ मामला उठाए जाने के लिए तदर्थ कैम्पा को दिए जाए। उत्तर तदर्थ कैम्पा द्वारा खराब अनुवर्ती कार्रवाई को प्रदर्शित करता है क्योंकि तदर्थ कैम्पा द्वारा उचित समय पर सम्बन्धित राज्य/यूटी के साथ अवरोधन के मामले को उठाना चाहिए था।

3.2.5. तदर्थ कैम्पा को निधियों के अन्तरण में विलम्ब

30 अक्तूबर 2002 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण निधियां जो अभी तक वसूल नहीं की गई थीं तथा राज्यों द्वारा पहले ही वसूल की गई अव्ययित निधियां, सम्बन्धित राज्यों तथा प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा इनके गठन के छः माह के अन्दर कैम्पा को अन्तरित की जानी थीं। 5 मई 2006 को तदर्थ कैम्पा के सृजन का निर्देश देते हुए उच्चतम न्यायालय ने पुनः निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना था कि कैम्पा की बाबत वसूल किया गया और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास पड़ा सभी धन इस निकाय द्वारा प्रचालित किए जाने वाले बैंक खाता (तों) को अन्तरित किया गया था।

राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों तथा लेखापरीक्षा में नमूना जांचित मण्डलों से संग्रहीत ब्यौरों से हमने देखा कि लेखापरीक्षा में शामिल 30 राज्यों /यूटी में से 14 में मई 2006 में तदर्थ कैम्पा के गठन से एक से 2,555 दिनों तक के विलम्ब से बाद ₹ 4,178.92 करोड़ तदर्थ कैम्पा को प्रेषित किए गए। प्रेषण में विलम्ब के ब्यौरे तालिका 22 में दिए गए है।

तालिका 22 : प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के प्रेषण में विलम्ब के ब्यौरें

क्रं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा को देरी से प्रेषित राशि (₹ करोड़ में)	तदर्थ कैम्पा को प्रेषण में विलम्ब* (दिनों में)	अभ्युक्तियां
1	**आंध्रप्रदेश**	1,467.82	252	सितम्बर 2006 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि के दौरान 512 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
2	**छत्तीसगढ़**	0.54	420 से 1,095	चार मामलों में प्रेषण में विलम्ब तीन मण्डलों से सम्बन्धित है। अप्रैल 2005 तथा अप्रैल 2009 के बीच संग्रहीत राशि जून 2007 तथा जून 2010 के बीच तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की गई।
3	**हिमाचल प्रदेश**	534.83	141	फरवरी 2007 से अगस्त 2012 की अवधि के दौरान प्रेषण में विलम्ब। धन राशि बैंक में चालू खाते में रखी गई।
4	**झारखण्ड**	27.02	22 से 1,604	तीन वन मण्डलों में प्रेषण में विलम्ब।
5	**कर्नाटक**	528.14	30 से 270	31 जुलाई 2007 तक राज्य कैम्पा के पास संचित निधियां जनवरी 2007 से दिसम्बर 2007 तक की अवधि के दौरान चार किश्तों में विलम्ब से तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गई।
6	**मध्यप्रदेश**	985.92	30 से 2,555	63 मण्डलों में प्रेषण में विलम्ब।
7	**मणिपुर**	17.47	44 से 589	पांच मामलों में प्रेषण में विलम्ब
8	**मेघालय**	0.49	300	18 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
9	**पंजाब**	51.74	16 से 2,040	2006–07 से 2008–09 तक की अवधि के दौरान छः मण्डलों में 306 मामलों में प्रेषण में विलम्ब।
10	**राजस्थान**	151.51	30 से 1,650	28 मण्डलों में 218 मामलों में प्रेषण में विलम्ब

क्रं सं.	राज्य/यूटी	तदर्थ कैम्पा को देरी से प्रेषित राशि (₹ करोड़ में)	तदर्थ कैम्पा को प्रेषण में विलम्ब* (दिनों में)	अभ्युक्तियां
11	**सिक्किम**	1.15	203 से 541	19 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
12	**उत्तरप्रदेश**	195.18	1 से 1,943	471 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
13	**उत्तराखण्ड**	191.77	30 से 90 तथा अधिक	192 मामलों में प्रेषण में विलम्ब
14	**पश्चिम बंगाल**	25.34	30 से 150	
	कुल	4,178.96		

** इस तालिका में तदर्थ कैम्पा के मई 2006 में गठित होने के बाद अंतरित मामले शामिल हैं। अंतरण के प्रबंध हेतु 14 दिनों की अवधि की छूट के बाद विलम्ब का आकलन किया गया है।*

उच्चतम न्यायालय के दिनांक 30 अक्तूबर 2002 के आदेश के अनुसार प्राप्य धन के सम्बन्ध में प्राप्य धन, वास्तव में प्राप्त धन, तदर्थ कैम्पा को अन्तरित किए जाने वाला धन और वास्तव में अन्तरित धन के ब्यौरे के केन्द्रीयकृत डाटा के अभाव में तदर्थ कैम्पा यह भी सुनिश्चित नहीं कर सका कि राज्यों/यूटी द्वारा संग्रहीत सभी राशियां उचित समय अवधि के अन्दर सम्बन्धित तदर्थ कैम्पा लेखाओं को प्रेषित की गई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि विलम्ब के राज्य वार आंकडे राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी रूप से दिए जा सकेगें। आगे यह भी बताया गया की तथापि प्रतिपूरक वनरोपण उदग्रहण, जब प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा जमा किए जाते हैं तो वे वन मण्डलों में रेंज अधिकारी/मण्डल वन अधिकारी स्तर से राज्य सरकार में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक अर्थात वन निर्बाधन मामलों के नोडल अधिकारी तक के माध्यम से गुजरते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर तदर्थ कैम्पा में प्रतिपूरक उदग्रहणों के समय से अंतरित नही कराया जाना, अन्तरण के ऊपर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निरीक्षण के अभाव की पुष्टि करता है। यह नवम्बर 2006 में आयोजित तदर्थ कैम्पा की बैठक की विवेचना से भी स्पष्ट हो गया था।

3.2.6. प्राप्त निधियों का संघटक वार अभिलेखों का रखरखाव

उच्चतम न्यायालय अपने अक्तूबर 2002 के निर्णय में ने अन्य बातों के साथ यह निर्देश दिया कि संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के विपथन के लिए प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्राप्त निधियां सम्बन्धित राज्यों/यूटी के संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यकलाप करने के लिए एकमात्र रूप से उपयोग की जानी चाहिए। इसी प्रकार जलग्रहण क्षेत्र, जिससे वन भूमि कम विपथित हुई, के संसाधन के लिए संग्रहीत निधियां केवल इस विशिष्ट क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना लागू करने के लिए उपयोग की जा सकेगी। 23 अप्रैल 2004 की कैम्पा की अधिसूचना के तहत संघटक अर्थात प्रतिपूरक वनरोपण/अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण/निवल /वर्तमान मूल्य /जलग्रहण क्षेत्र संसाधन आदि का विशेष प्रयोजन उल्लेखित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए यह सुनिश्चित करने कि प्राप्ति के प्रत्येक संघटक के निर्गम प्रत्येक संघटक के अन्तर्गत पात्र प्रस्तावों के प्रति किए गए थे, के लिए संघटक वार सीएएफ के अन्तर्गत प्राप्तियां दर्ज करने की प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य था।

अपनी बैठकों में तदर्थ कैम्पा ने ऐसी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया और समय समय पर इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए। इन निर्देशों का सार नीचे दिया गया है:

बैठक की तारीख	जारी किए गए निर्देश
7 जुलाई 2006 (दूसरी बैठक)	तदर्थ कैम्पा ने महसूस किया कि अधिकांश प्राप्तियों के साथ ऐसे ब्यौरे नहीं थे जो उचित अभिलेख रखरखाव, डाटा प्रबन्धन तथा सीए, पीसीए, सीएटी, एनपीवी आदि जैसी कैम्पा निधियों के विभिन्न घटकों से सम्बन्धित सूचना को त्वरित प्राप्ति तथा सुधार के लिए अनिवार्य थे। यह निर्णय लिया गया कि अन्तरित निधियों के ब्यौरे भेजने के लिए एक फारमेट राज्य/यूटी सरकारों को भेजा जाएगा।
9 मार्च 2009 (नौंवी बैठक)	तदर्थ कैम्पा ने एकबार फिर महसूस किया कि कार्य के निष्पादन के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जमा की गई निधियों और राज्यों को उनके निर्गम के ब्यौरों को तुरंत संकलित करने और मिलान करने की आवश्यकता है।

तदर्थ कैम्पा ने प्राप्यों के परियोजनावार, संघटकवार, तदर्थ कैम्पा को उनके प्रेषण और राज्य सरकारों के पास शेष, यदि कोई हो, की विस्तृत सूचना मुहैया कराने के लिए 25 अक्तूबर 2010 को राज्य सरकारों को भी लिखा। इस सूचना का अभिप्राय प्राप्यों के मिलान को सुगम बनाना था।

हमने पाया कि निधियों की प्राप्ति और इनके निर्गमों के संघटकवार ब्यौरे कैम्पा के पास उपलब्ध नहीं थे। इस संबंध में एक विशेष प्रश्न पर तदर्थ कैम्पा ने बताया (अगस्त 2012) कि यह सूचना राज्यों से मांगी गई थी परन्तु यह उपलब्ध नहीं थी । तदर्थ कैम्पा ने राज्यवार प्राप्तियों के अपने अभिलेख तैयार किए जो आगे मूल तथा उस पर ब्याज में विभक्त किए गए।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि यद्यपि एपीओ तैयार किए गए और राज्य की स्तर संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए गए परन्तु ₹ 1,000 करोड़ की समग्र सीमा से अधिक निर्गम सम्भव नहीं था। उत्तर लेखापरीक्षा के मुददे को टालते हुए और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुकूल नहीं है जिसने निर्दिष्ट किया कि विशेष निधियां विशेष प्रयोजनों हेतु प्रयोग की जानी थीं। निधियों के संघटक वार अभिलेख न बनाकर इन निधियों के विशेष उपयोग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित नहीं किए गए ।

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान संघटकवार संग्रहण निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य महालेखाकारों ने प्रत्येक राज्य/यूटी के नोडल अधिकारियों से यह सूचना एकत्र करने का प्रयास किया। यह सूचना नोडल अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं होने की दशा में उसे लेखापरीक्षाा के लिए चयनित मण्डलों से एकत्र किया गया। इस नमूना जांच के आधार पर 2002 से 2012 तक संघटकवार संग्रहण, तालिका 23 में दिया गया है।

तालिका 23 : 2002–12 के बीच राज्यों में संघटकवार संग्रहण

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राज्य/यूटी	एनपीवी	सीए	एसीए	पीसीए	सीएटी	अन्य	कुल
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.85	2.93	0	0	0	0	4.78
2	आंध्रप्रदेश	1,310.82	132.53	6.70	43.12	33.19	26.83	1,553.19
3	अरूणाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	827.05
4	असम	407.90	14.72	0	0	0	0	422.62
5	बिहार	148.08	23.52	0	0	0	0.09	171.69
6	चण्डीगढ़	1.61	0.74	0	0	0	0	2.35
7	छत्तीसगढ़	1,178.49	161.75	14.56	6.95	9.07	0	1,370.82
8	दिल्ली	3.74	28.57	0	2.45	0	0	34.76
9	गोवा	119.69	9.33	0.44	4.72	0	0.51	134.69
10	गुजरात	422.01	162.35	0	0	0	0.15	584.51
11	हरियाणा	158.44	142.28	0	0	1.86	0	302.58
12	हिमाचल प्रदेश	378.3	97.26	240	0.35	5.54	2.05	723.5
13	जम्मू–कश्मीर (2007 के बाद)*	214.62	0.06	0	0	0	42.87	257.55
14	झारखण्ड	1284.46	128.67	0	62.93	0	48.50	1524.56
15	कर्नाटक	379.23	61.04	0	0	11.54	78.07	529.88
16	केरल	24.69	3.05	0.02	0	0.37	1.12	29.25
17	मध्यप्रदेश	495.29	242.10	3.19	2.42	15.64	48.26	806.90
18	महाराष्ट्र#	200.68	23.09	4.79	7	18.91	14.15	268.62
19	मणिपुर	26.80	8.00	0.29	0	0	0.11	35.20
20	मेघालय	81.02	2.63	0	1.13	0.98	4.44	90.20
21	मिजोरम	45.46	4.74	0	0	0	0.14	50.34
22	ओडिशा	3,319.41	51.01	0	7.63	45.53	261.15	3,684.73
23	पंजाब	10.98	6.59	0	0.08	0	0	17.65
24	राजस्थान	280.35	32.60	10.94	9.48	0	83.10	416.47
25	सिक्किम	78.93	46.81	0	0.06	39.16	13.92	178.88
26	तमिलनाडु	30.23	8.87	0	0.32	0.40	0.99	40.81
27	त्रिपुरा	49.23	9.00	0	0	0	0	58.23
28	उत्तरप्रदेश	237.64	122.92	0.70	0.40	0.35	65.29	427.30
29	उत्तराखण्ड $	954.47	82.84	0	उ.न.	उ.न.	259.65	1,296.96
30	पश्चिम बंगाल	74.46	23.19	0	0	11.58	3.09	112.32
	कुल	**11,918.88**	**1633.19**	**281.63**	**149.04**	**194.12**	**954.48**	**15,958.39**

उ.न. – राज्य में सूचना उपलब्ध नहीं थीं।

** जम्मू–कश्मीर के लिए 2007 से पूर्व की सूचना उपलब्ध नहीं थी।*

 # महाराष्ट्र के लिए राशियां नमूना मण्डलों की हैं, नोडल अधिकारी ने सूचना नहीं दी।

$ उत्तराखण्ड के लिए अन्य में एसीए, पीसीए, सीएटी तथा अन्य शामिल है।

यह देखा जाए कि तालिका 23 के अनुसार ₹ 15,958.39 करोड़ का कुल संग्रहण तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्ति के रूप में सूचित ₹ 22,885.72 करोड़ तथा राज्य /यूटी कैम्पा (तालिका 19 में) द्वारा प्रेषित के रूप में सूचित ₹ 16,863.88 करोड़ के साथ इस तथ्य के कारण मेल नहीं खाता कि संघटक वार ब्यौरे अभिलेखों की नमूना जांच से संग्रहीत किए गए थे और ये उस सीमा तक पूर्ण नहीं थे।

प्रत्येक राज्य/यूटी में सीएएफ के संघटक वार संग्रहण के विश्वसनीय तथा प्रमाणित डाटा के अभाव में हम उस तन्त्र को समझने में असमर्थ हैं जिसके द्वारा तदर्थ कैम्पा ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि प्रत्येक संघटक के अंर्तगत संग्रहीत निधियां इस संबध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रत्येक संघटक के अंतर्गत केवल पात्र कार्यक्रम/योजना/कार्यकलापों के लिए जारी की गई थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने (अप्रैल 2013) तालिका 23 में यथा प्रदर्शित विभिन्न निधियों के संघटक वार संग्रहण के बारे में मौन रहते हुए बताया कि निधियों के परियोजनावार तथा संघटक वार ब्यौरे रखने के प्रयास जारी थे और ये भी बताया कि तदर्थ कैम्पा के पास राज्य लेखाओं को निधियों का समय से अंतरण जैसा तदर्थ कैम्पा द्वारा रखरखाव किया गया सुनिश्चित करने के लिए राज्य/यू.टी. के ऊपर कोई प्राधिकार नहीं हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि परिवायोजनावार तथा संघटकवार प्राप्तियां उचित रूप से लेखांकित की गई है और अंतिम निर्वाधन देने से पूर्व तदर्थ कैम्पा को अंतरित की गई है। महानिदेशक (एफ.सी.) तथा महानिरीक्षक (एफ.सी.) भी तदर्थ कैम्पा के क्रमशः अध्यक्ष तथा सी.ई.ओ. के रूप में कार्य कर रहे थे इस लिए उन्हें राज्य/यू.टी. को निर्देश देने तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा अनुरक्षित राज्य लेखाओं को निधियों का समय से अंतरण सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार था।

3.3. प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संघटकों का निर्धारण तथा संग्रहण

3.3.1. प्रतिपूरक वनरोपण निधियों के संघटक

सीएएफ के संघटक तथा प्रत्येक संघटक की गणना की प्रक्रिया निम्नवत है :

संघटक	प्राधिकार	एनपीवी की दर	कैसे गणना की जानी है	किसने गणना करनी है
निवल वर्तमान मूल्य	उच्चतम न्यायालय आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 तथा 28 मार्च 2008	मार्च 2008 तक ₹ 5.80 लाख से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर और मार्च 2008* के बाद ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 10.43 लाख प्रति हैक्टेयर	विपथित वन भूमि के वर्ग/श्रेणी तथा घनत्व के आधार पर गणना की जानी थी	सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी
प्रतिपूरक वनरोपण/ अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक प्रतिपूरक वनरोपण/ जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना	राज्य का प्रधान मुख्य वन संरक्षक/राज्य कैम्पा का नोडल अधिकारी		वनरोपण के लिए पहचानी गई भूमि की विभिन्न श्रेणियों तथा स्थलों की दरों के आधार पर गणना की जानी है।	सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी

**उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एनपीवी की दर निर्धारित की जो तीन वर्षों तक लागू मानी जाएगी और तीन वर्षों के बाद परिवर्तन के अधीन होगी।*

3.3.2. प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी की वसूली, जिनमें 2002 से पूर्व सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हुआ व से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करना

सितम्बर 2006 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उन सभी मामलों में जिनमें 29 अक्तूबर 2002 से पूर्व सैद्धांतिक निर्बाधन दिया गया परन्तु बाद में अंतिम निर्बाधन प्रदान किए गए, में अन्य उगाहियों के अतिरिक्त निम्नतम ₹ 5.80 लाख से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) वसूल किया जाना था।

नवम्बर 2006 तथा जून 2007 में आयोजित अपनी क्रमशः तीसरी तथा सातवीं बैठक में तदर्थ कैम्पा ने देखा कि सैद्धान्तिक अनुमोदन मामलों में 30 अक्तूबर 2002 से पूर्व के लिए एनपीवी की किसी वसूली की किसी राज्य/यूटी ने सूचना नहीं दी। इस विषय पर जनवरी 2012 में आयोजित एनसीएसी की चौथी बैठक में चर्चा की गई और यह निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों में एनपीवी राशियों की वसूली अगले छः महीनों में पूर्ण की जाए। परिणामस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मार्च 2012 में ऐसे मामलों में एनपीवी की मामलावार वसूली की जांच करने और 31 मई 2012 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट भेजने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया।

यह पाया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थिति में 21 राज्यों/यूटी से सम्बन्धित 292 मामलों को शामिल किया गया जिनमें 29,201.30 हैक्टेयर भूमि विपथित की गई थी। स्थिति रिपोर्ट में इन मामलों में वसूली की जाने वाली एनपीवी की राशि परिकलित नहीं की गई। हमने इन सभी मामलों में ₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर की निम्नतम दर लागू करके सन्तुलित आधार पर एनपीवी की कुल राशि ₹ 1693.67 करोड़ निर्धारित की। ऐसे मामलों के ब्यौरे तालिका 24 में दिए गए हैं।

तालिका 24 : मामलों के ब्यौरे जिनमें अक्तूबर 2002 से पूर्व दिए गए सैद्धान्तिक अनुमोदन के लिए एनपीवी संग्रहीत नही की गई।

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	राज्य/यूटी	मामलों की संख्या	विपथित कुल भूमि (है.में)	बकाय एनपीवी[21]
1.	आंध्रप्रदेश	22	1,053.10	61.08
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	264.43	15.34
3.	छत्तीसगढ़	17	1,160.42	67.30
4.	गुजरात	18	275.94	16.00
5.	हरियाणा	1	8.48	0.49
6.	हिमाचल प्रदेश	7	140.86	8.17
7.	झारखण्ड	12	607.57	35.24
8.	कर्नाटक	20	1,336.36	77.51
9.	केरल	2	14.77	0.86
10.	मध्यप्रदेश	22	6,804.25	394.65
11.	महाराष्ट्र	63	1,870.63	108.50

[21] रू. 5.80 लाख प्रति है० (निम्नतम दर) की दर पर परिकलित

क्र सं.	राज्य/यूटी	मामलों की संख्या	विपथित कुल भूमि (है.में)	बकाय एनपीवी[21]
12.	मेघालय	1	99.00	5.74
13.	मिजोरम	2	143.97	8.35
14.	ओडिशा	36	3,679.69	213.42
15.	पंजाब	2	401.05	23.26
16.	राजस्थान	13	893.99	51.85
17.	तमिलनाडु	7	107.40	6.23
18.	त्रिपुरा	16	5,741.55	333.01
19.	उत्तरप्रदेश	2	1,149.87	66.69
20.	उत्तराखण्ड	23	3,433.27	199.13
21.	पश्चिम बंगाल	1	14.70	0.85
	कुल	**292**	**29,201.30**	**1,693.67**

तालिका से यह स्पष्ट है कि 29,201.30 हैक्टेयर वन भूमि उच्चतम न्यायालय के सितम्बर 2006 के आदेश के उल्लंघन में ₹ 1693.67 करोड़ के एनपीवी की वसूली के बिना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय /क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विपथित की गई।

उपर्युक्त 292 मामलों के अलावा राज्य वन विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सिक्किम तथा उत्तरप्रदेश राज्यों में क्रमशः दो मामलों में ₹ 0.41 करोड़ तथा एक मामले में ₹ 3.01 करोड़ का एनपीवी वसूल नहीं किया गया। ये मामले ऊपर उल्लिखित मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए। इस प्रकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय रिपोर्ट की पूर्णता पर संदेह होता है। इस प्रकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकारें यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि एनपीवी की उच्चतम न्यायालय आदेशों के अनुसार मांग की गई और संग्रहीत किया गया और अंत में ₹ 1,693.67 करोड़ की कम वसूली हुई। इस राशि में ब्याज का कोई घटक शामिल नहीं है जो सामान्यतया निधियों पर उपचित होना था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि अधिकांश मामलों में एनपीवी संग्रहीत किया गया था और इस संबंध में लेखापरीक्षा सम्बन्धित राज्य/यूटी के साथ मामला उठाए। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इन मामलों में से किसी में संग्रहीत एनपीवी का कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया और ऐसे मामलों के ब्यौरे तैयार करना तदर्थ कैम्पा के लिए बाध्यकारी था।

3.3.3. राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव अभयारण्य से भूमि के विपथन हेतु निर्धारित दरों को लागू न करना।

मार्च 2008 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार वन की सघनता तथा वर्ग के आधार पर ₹ 4.38 लाख से ₹ 10.43 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर एनपीवी प्रभारित की जानी थी और राष्ट्रीय पार्कों के मामले में यह राशि सामान्य दरों के 10 गुने की दर पर प्रभारित की जानी थी तथा अभयारण्यों के मामले में यह राशि सामान्य दरों के 5 गुने की दर पर प्रभारित की जानी थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया कि तालिका 25 में दिए मामलों के संबंध में मार्च 2008 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसियों से वन्य जीव अभयारण्य की भूमि के विपथन के लिए निर्धारित दरों पर एनपीवी वसूल नहीं किया गया।

तालिका 25 : वन्य जीव अभयारण्य में आने वाले क्षेत्र के विपथन के मामले जिनमें एनपीवी वसूल नहीं की किया गया।

प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	राज्य	वन्यजीव मण्डल का नाम	वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र (है. में)	अवसूलित एनपीवी (₹ करोड़ में)
आंध्रप्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	आंध्रप्रदेश	नागार्जुन सागर श्रीसेलम वन्यजीव अभयारण्य	20.00	4.38*
टाटा रिफेक्टरीज	ओडिशा	चंदका वन्यजीव मण्डल	58.50	12.81*
त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड (टीडीबी)	केरल	पेरियार टाइगर रिजर्व (पीटीआर)	12.68	2.77*
इन्दिरासागर (पोलावरम) बहुउददेशीय योजना	आंध्रप्रदेश	पापी कोण्डा राष्ट्रीय पार्क	101.81	41.42**
कुल			**192.99**	**61.38**

**एनपीवी निम्नतम दर ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर के पांच गुणा संतुलित अनुमान पर आधारित*
***88.81 हैक्टेयर में ₹ 8.03 लाख/हैक्टेयर के 10 गुने और 13.00 हैक्टेयर में ₹ 8.87 लाख/हैक्टेयर के 10 गुने पर एनपीवी संग्रहीत किया जाना था परन्तु दरों के पांच गुने पर संग्रहीत किया गया।*

दिसम्बर 2012 तक प्रयोक्ता एजेंसियों से निर्धारित दरों पर एनपीवी वसूल करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्वीकार किया (अप्रैल 2013) कि ओडिशा तथा केरल में एनपीवी निर्धारित दर पर संग्रहीत किया गया और आंध्रप्रदेश के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.3.4. एनपीवी की संशोधित दरें लागू न करने के कारण एनपीवी का कम निर्धारण

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर 2002 में निर्देश दिया कि निवल वर्तमान मूल्य, भूमि की मात्रा तथा सघनता के आधार पर ₹ 5.80 लाख से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर वन भूमि की दर पर वसूल किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2008 में एनपीवी की दरें संशोधित की जो विभिन्न घटकों के आधार पर ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 10.43 लाख प्रति हैक्टेयर के बीच थीं। मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सूचित करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की और अन्ततः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उदासीन रवैये को दर्शाते हुए 5 फरवरी 2009 को संशोधित दरों के आदेश 11 महीने के असामान्य बिलम्ब के बाद सभी राज्य वन विभागों की सूचित किए।

2006–12 की अवधि के लिए राज्य कैम्पा/नमूना मण्डलों/नोडल अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि राज्य वन विभागों ने पुनः निर्धारित दरों पर एनपीवी प्रभारित नहीं किया परिणामस्वरूप ₹ 166.61 करोड़ की एनपीवी की कम वसूली हुई। राज्य /यूटी वार ब्यौरे तालिका 26 में दिए गए है।

तालिका 26 : राज्य/यूटी वार मामलों के ब्यौरे जिनमें संशोधित दरों पर एनपीवी वसूल नहीं की गई।

क्रं. स.	राज्य/यूटी	एनपीवी की कम वसूली (रू. करोड़ में)	मामलों की संख्या	मण्डलों की संख्या	संशोधित दरों पर वसूल न करने के कारण/प्रयोक्ता एजेंसियों का नाम
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.04	5	2	
2	असम	0.04	1	1	ओएनजीसी को 10 प्रतिशत छूट दी गई
3	छत्तीसगढ़	34.06	23	-	
4	दिल्ली	0.25	4	1	
5	गोवा	13.67	5	1	मै. सोसाइडेड टिम्बोल्मप्रेस लि. मै. जी एन अग्रवाल बिम्बोल आयरन और माइन आका एम को गोवा प्र. लि., मै. डैम्पो एण्ड कम्पनी प्राईवेट लि., मै. बदरूददीन एच मवानी, मै. सोवा कं. लि.
6	गुजरात	89.47	3	3	राशि एनएचएआई से वसूल नहीं की गई
7	हरियाणा	0.36	1	1	
8	जम्मू–कश्मीर	21.04	-	8	
9	कर्नाटक	3.28	12	7	
10	मध्यप्रदेश	3.80	14	7	
11	मेघालय	0.42	4	-	वर्ल्ड विक्ट्री चर्च, शिलांग, भारतीय खेल प्राधिकरण, शिलांग, पूर्वोतर विद्युत संचरण कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, चर्च आफ गौड, 5 वां माइल अपर शिलांग
12	त्रिपुरा	0.18	12	4	
	कुल	**166.61**			

3.3.5. एनपीवी/सीए/सीएपीटी/पीसीए आदि के वसूल न करने के अन्य मामले

उच्चतम न्यायालय के अक्तूबर 2002 के आदेशों के बाद गैर वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के विपथन के लिए सीए/एसीए/पीसीए/सीएटी आदि के साथ एनपीवी वसूल की जानी थी। अक्तूबर 2002 के आदेशों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित एनपीवी की दरें मार्च 2008 में पुनः निर्धारित की गई।

राज्य कैम्पा/नमूना मण्डलों/नोडल अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि ₹ 3145.16 करोड एनपीवी, ₹ 115.58 करोड़ सीए, ₹ 89.74 करोड़ सीएटी योजना/पीसीए/अन्य राज्य वन विभागों द्वारा वसूल नहीं किया गया जैसाकि तालिका 27 में दिया गया है। तालिका 27 में उल्लिखित अलग–अलग मामलों के ब्यौरे राज्य विशेष अध्यायों में दिए गए हैं।

तालिका 27 : मामलों की संख्या, राशियां तथा मण्डलों की संख्या के राज्य/यूटीवार ब्यौरे जिनमें एनपीवी/सीए/पीसीए/सीएटीपी/कम वसूल किए गए अथवा वसूल नहीं किए गए।

(₹ करोड़ में)

क्रं सं.	राज्य/यूटी	असंग्रहीत एनपीवी	असंग्रहीत सीए	असंग्रहीत पीसीए/ सीएटीपी/अन्य	मामलों की संख्या	मण्डलों की संख्या	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.15	0.10	-	4	2	उ.न.
2	आंध्र प्रदेश	7.60			4	4	उ.न.
3	अरूणाचल प्रदेश	32.59*		0.20			उ.न.
4	असम	214.64*	8.60		4	4	उ.न.
5	बिहार	7.26*	4.10			1	उ.न.
6	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	उ.न.
7	छत्तीसगढ़	3.43	6.50		48	3	उ.न.
8	दिल्ली	0.68	0.98		3	2	दिल्ली मेट्रो रेल निगम
9	गोवा	0.73	0.16	-	2	2	मै. चन्द्रकान्त एफ नाइक/श्री राजेश पी टिम्बलो,
10	गुजरात	62.77	2.43	5.35	3	3	मै. एमपीएसईजैडएल (पूर्व में मै. अडानी केमीकल्स लिमि के रूप में ज्ञात) साउथ गुजरात विज कम्पनी लिमिटेड (एसजीवीसीएल)

क्रं सं.	राज्य/यूटी	असंग्रहीत एनपीवी	असंग्रहीत सीए	असंग्रहीत पीसीए/ सीएटीपी/अन्य	मामलों की संख्या	मण्डलों की संख्या	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम
							वलसाड
11	हरियाणा	3.57*			7	6	उ.न.
12	हिमाचल प्रदेश	26.99*	1.37	-	-	-	उ.न.
13	जम्मू–कश्मीर	837.76*	3.00	-	-	-	उ.न.
14	झारखण्ड	69.45*	10.01	1.48	-	28	उ.न.
15	कर्नाटक	216.77	19.55	2.01	33	7	उ.न.
16	केरल	0.29*			2	2	उ.न.
17	मध्यप्रदेश	114.39*			36	7	उ.न.
18	महाराष्ट्र	174.27	8.74		106	7	उ.न.
19	मणिपुर	100.99	5.17	0.29	1	1	उ.न.
20	मेघालय	55.42	-	-	11	2	आधुनिक सीमेंट लिमिटेड, अमृत सीमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड एण्ड सबसीडरीज, ग्रीन वैली इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गोल्डस्टोन सीमेंट लिमिटेड, हिल सीमेंटस कम्पनी लिमिटेड और मेघालय सीमेंट लिमिटेड
21	मिजोरम	219.33*		17.00	5	2	
22	ओडिशा	941.67	30.35	37.01	335	28	मै. पटनायक मिनरल्स, मै. सेल, मै. डी सी जैन, मै. ओएम सी लिमिटेड, मै. केसी प्रधान, मै. आरबी ठाकुर, मै. डा. सरोजिनी प्रधान, मै. क्योंझर मिनरल्स (प्रा.) लि., मै. श्री बी के मोहन्ती, मै. एससी मलिक, मै. बीएल नेवतिया, मै. एस

क्रं सं.	राज्य/यूटी	असंग्रहीत एनपीवी	असंग्रहीत सीए	असंग्रहीत पीसीए/ सीएटीपी/अन्य	मामलों की संख्या	मण्डलों की संख्या	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम
							एल एक्सप्लोरेशन (प्रा.) लि., मै. रूंगटा सन्स, मै. आईएमएफए लि., मै. घन्श्याम मिश्रा एण्ड सन्स (प्रा.) लि., मै. जी एस चौबे, मै. के के चौरसिया, मै. मणिश्री रिफ्रेक्टरीज लि., मै. फाकर लि. और मै. सेल
23	पंजाब	-					उ.न.
24	राजस्थान	6.97**	6.25	0.64	91	-	उ.न.
25	सिक्किम	30.34	8.22		48	-	उ.न.
26	तमिलनाडु	0.37	0.00	0.17	-	4	उधागई नगरपालिका
27	त्रिपुरा	-			-	-	उ.न.
28	उत्तरप्रदेश	0.10	0.05	0.08	-	4	बजाज हिन्दुस्तान सुगर इण्डस्ट्री लिमिटेड
29	उत्तराखण्ड	0.01	-	8.37	8	2	मै. यूवीएन माइनिंग लीज
30	पश्चिम बंगाल	15.62***		17.14	3	3	उ.न.
	कुल	**3,145.16**	**115.58**	**89.74**			उ.न.

**कुछ मामलों के सीए में एनपीवी भी शामिल है जिनमें एनपीवी/सीए का द्विभाजन उपलब्ध नहीं कराया गया।*
*** एनपीवी में सीए एवं कटे पेडों की कीमत शामिल है।*
**** एनपीवी में सीए एवं पर्यावरण हानि शामिल है।*
उ.न. – उपलब्ध नहीं

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि आपत्तियों पर सम्बन्धित राज्यों द्वारा कार्रवाई की जानी है, सम्बन्धित राज्य/यूटी से प्राप्त उत्तर अलग से भेजे जा रहे हैं।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है। यह सुनिश्चित करना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए बाध्यकारी था कि प्रतिपूरक वनरोपण निधियां अंतिम निर्बाधन देने से पूर्व उचित रूप से निर्धारित, संग्रहीत तथा तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की गई हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2000 के अपने आदेश द्वारा भी उचित प्रतिपूरक वनरोपण की सुनिश्चितता के लिए पर्यावरण एंव वन मंत्रत्रालय का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया था तथा यह भी कहा गया कि ये मंत्रालय पर है कि वह वन निर्बाधन प्रदान करते समय लगाई गई शर्तों की निगरानी करे।

3.3.6. उच्चतम न्यायालय द्वारा एनपीवी के भुगतान की छूट प्राप्त नही करने वाली प्रयोक्ता एजेंसियों से एनपीवी वसूली नही करना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 19 दिसम्बर 2005 को सभी राज्य वन विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया कि प्रयोक्ता एजेंसियों से ऐसा वचन कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अन्तिम रूप से निर्णय किया जाता है कि ऐसी परियोजनाएं एनपीवी के भुगतान से मुक्त नहीं है इसलिए तो ऐसी प्रयोक्ता एजेंसी उस एनपीवी की राशि का भुगतान करेगी जैसा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए और आदेश दिया जाए, लेने के बाद ही निश्चित परियोजनाओं को वानिकी निर्बाधन दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने 24 अप्रैल 2008 तथा 9 मई 2008 को इस मामले पर निर्णय दिया।

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में 181 मामलों में अप्रैल 2006 से जून 2008 के दौरान 443.17 हैक्टेयर वन भूमि विपथित की गई जिसके लिए राज्य वन विभाग द्वारा मुक्त मामलों पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लम्बित होने पर कोई एनपीवी, सीए आदि संग्रहीत नहीं किया गया। जैसाकि क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा परिकलित किया गया, एनपीवी के रूप में ₹ 39.02 करोड़ की राशि अभी भी इन प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्य थी। ये 181 परियोजनाएं गैर वन भूमि की प्राप्ति से मुक्त थीं परन्तु एनपीवी/सीए आदि के भुगतान से मुक्त नहीं थीं। हमने इन मामलों में सीए की राशि हिमाचलप्रदेश में सीए की निम्नतम दर (₹ 1.50 लाख प्रति हैक्टेयर) लागू करने के द्वारा संतुलित आधार पर ₹ 6.65 करोड़ निर्धारित की।

क्षेत्रीय कार्यालय ने एनपीवी की वसूली के लिए 4 जुलाई 2008 को और बाद में 28 जुलाई 2008 को हिमाचलप्रदेश सरकार को लिखा। एनपीवी/सीए/एसीए आदि की वसूली दिसम्बर 2012 तक अभी भी लम्बित थी।

3.3.7. प्रत्येक तीन वर्षों के बाद एनपीवी की दरों का संशोधन न किया जाना

उच्चतम न्यायालय ने अक्तूबर 2002 के अपने आदेश में निर्देश दिया कि सभी गैर वन प्रयोजनों हेतु प्रयोक्ता एजेंसी से, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन हस्तान्तरण करते समय, प्रयोक्ता एजेंसी गैर वन प्रयोजनों के लिए विपथित वन भूमि के निवल मूल्य का भी कथित निधि को भुगतान करेगी। गैर वन उपयोग हेतु परिवर्तित विचाराधीन भूमि की मात्रा तथा सघनता के आधार पर ₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर वन की दर पर वर्तमान मूल्य वसूल किया गया। जब और जैसे आवश्यक हो, यह दर केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के परामर्श से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ऊर्ध्व संशोधन के अध्यधीन होगी।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर वनों की पारिस्थितिक भूमिका तथा मूल्य को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक डाटा के आधार पर 28 मार्च 2008 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने एनपीवी की दरें पुनः निर्धारित की। उन्होने आगे कहा कि अब निर्धारित एनपीवी दर तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी और तीन वर्ष बाद परिवर्तन के अध्यधीन होगी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी 2009 के तहत एनपीवी की पुनः निर्धारित दरें परिचालित की इसलिए फरवरी 2012 में पुनः निर्धारण के लिए देय है।

यह देखा गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने तीन वर्ष बाद अर्थात 2012 में ये दरें पुनः निर्धारित नहीं की।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि एनपीवी की दरों के संशोधन के लिए वर्तमान में कार्रवाई जारी है और इस मामले में जैसे ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा है वैसे ही ये पूर्व प्रभाव से लागू की जाएंगी इनके प्रभावी होने की तारीख से एनपीवी की संशोधित दरों का भुगतान करने का उन्हें दायी बनाने के लिए सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसियों से इस बावत एक उचित वचन पत्र लिया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य का ध्यान रखते हुए देखने का आवश्यकता है कि संशोधित दरें फरवरी 2012 में देय हो गई थी तथापि उन्हें जून 2013 तक भी लागू नहीं किया गया।

3.3.8. राज्य कैम्पा/प्रयोक्ता एजेंसियों से निधियों की उचित प्राप्ति की निगरानी न करना

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के नियम 4.2 (i) के अनुसार वन भूमि के विपथन हेतु वानिकी निर्बाधन दो चरणों में दिया जाना था। प्रयोक्ता एजेंसी को राज्य वन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। राज्य वन विभाग को वन भूमि के क्षेत्र, प्रकार और स्थान आदि का सीमांकन करने के बाद अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव आरओ/एमओईएफ, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करना था। आरओ एमओईएफ हस्तांतरण परिवर्तन तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत घोषित आरक्षित वन/संरक्षित वन में प्रतिपूरक वनरोपण के लिए बराबर की गैर वन भूमि संबंधी शर्तों तथा उस पर प्रतिपूरक वनरोपण के लिए एन पी वी सीए आदि निधियों संबंधी शर्ते लगाते हुए, सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान करना था। प्रयोक्ता एजेंसी से तब डीएफओ/राज्य कैम्पा के पास एनपीवी, सीए, एसीए आदि की निधियां जमा करने सहित शर्तों का पालन करना अपेक्षित है। उसके बाद राज्य कैम्पा/नोडल अधिकारी/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)/एमओईएफ, जैसा भी मामला हो, को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने और इसकी जांच के बाद आरओ/एमओईएफ द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाना था। राज्य वन विभाग तदर्थ कैम्पा के साथ खोले गए सम्बन्धित बैंक खाते में धन प्रेषित करता है।

यह देखा गया कि सैद्धान्तिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ही एमओईएफ /आरओ द्वारा अन्तिम अनुमोदन किया गया जैसाकि जहाँ सैद्धान्तिक अनुमोदन 2002 से पूर्व दिया गया था, वहाँ एनपीवी की वसूली न करने, राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्यजीव अभयारण्यों से निर्धारित दरों पर एनपीवी वसूल न करना एनपीवी की संशोधित दरों को लागू न करने के कारण एनपीवी का कम निर्धारण, एनपीवी/सीए/सीएपीटी/पीसीए की वसूली न करने के अन्य मामले, प्रत्येक तीन वर्ष पर एनपीवी दरों को संशोधित न करने तथा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दी गई निधियों की प्राप्ति की निगरानी न करने से सम्बन्धित लेखापरीक्षा आपत्तियों से स्पष्ट है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 1980 से अनुमत वन भूमि के विपथन के सभी मामलों के सम्बन्ध में परियोजना वार तथा संघटक वार सूचना के संकलन के लिए सम्बन्धित राज्य/यूटी सरकारों को सम्बोधन के द्वारा सक्रिय प्रयास किए गए हैं। सूचना सम्बन्धित राज्य/यूटी सरकारों से प्रतीक्षित है। तथापि वर्ष 2011 से एक प्रणाली आरम्भ की गई जिसके अनुसार एफसी अधिनियम 1980 के

अन्तर्गत अन्तिम निर्बाधन केवल तदर्थ कैम्पा से विशेष लिखित पुष्टि कि कथित निधियां उनके द्वारा अनुरक्षित राज्य विशेष खाते में प्राप्त हो गई हैं, के बाद दिया जाए।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए था कि परियोजना वार तथा संघटक वार प्राप्तियां अन्तिम निर्बाधन देने से पूर्व उचित रूप से लेखांकित , अन्तरित तथा तदर्थ कैम्पा से सत्यापित हैं। उत्तर से यह भी स्पष्ट है कि अन्तिम अनुमोदन सैद्धान्तिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना एमओईएफ /आरओ द्वारा दिया गया और एमओईएफ यह भी आश्वासन नहीं दे सका कि कितने मामलों में प्रतिपूरक वनरोपण निधियों की प्राप्तियां सही प्रकार निर्धारित तथा जमा की गई।

3.4. निष्कर्ष

इस अध्याय से स्पष्ट है कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रति राज्यों/यूटी द्वारा संग्रहीत सभी धन राशि का तदर्थ कैम्पा खातों में पूर्णतया तथा समय से अन्तरण सुनिश्चित करने में पर्यावरण और वन मंत्रालय अप्रभावी रहा। आज भी (जुलाई 2013) वह आश्वस्त नहीं है कि राज्यों/यूटी द्वारा सीएएफ के लिए संग्रहीत सभी धन तदर्थ कैम्पा खातों में जमा कर दिया है। यह केवल तभी सुनिश्चित किया जा सकता था जब परियोजना वार प्राप्य, संग्रहीत, प्रेषित (अथवा तदर्थ कैम्पा के गठन से पूर्व राज्यों/यूटी द्वारा प्रयुक्त) और राज्यों/यूटी के पडी शेष राशियां दर्शाते हुए एक केन्द्रीयकृत डाटा बेस बनाया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्तिम निर्बाधन केवल तभी दिए गए थे जब सैद्धान्तिक निर्बाधन की सभी शर्तें पूरी हो गई थी और राज्यों/यूटी से तदर्थ कैम्पा को अन्तरण की निगरानी करने के लिए भी नियंत्रण तन्त्र के रूप में ऐसा डाटाबेस बनाना व्यवहार्य तथा आवश्यक दोनों था। तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध और राज्यों/यूटी से संग्रहीत निधियों के अन्तरण के डाटा में अन्तर ₹ 6,021.88 करोड़ था जो तदर्थ कैम्पा के पास मूल राशि का 26.31 प्रतिशत था। कई शर्तों से इसका मिलान न करना न केवल नियंत्रणों में शिथिलता दर्शाता है बल्कि सम्बन्धित सभी एजेंसियों द्वारा दिए गए डाटा की विश्वसनीयता तथा पूर्णता पर भी सन्देह पैदा करता है। हमारी नमूना जांच में यह भी पता चला कि 23 राज्यों/यूटी ने तदर्थ कैम्पा को सीएएफ का लगभग ₹ 401.70 करोड़ अन्तरित नहीं किया। संग्रहणों के संघटक वार ब्यौरों के अभाव में हम यह आश्वासन देने में असमर्थ हैं कि निर्गम उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार किए गए हैं।

अन्तिम निर्बाधन देने से पूर्व प्राप्यों के सही निर्धारण तथा संग्रहण की मामलावार निगरानी करने के लिए एमओईएफ/तदर्थ कैम्पा/राज्य कैम्पा के पास कोई प्रणाली नहीं थी। यह पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित सीएएफ प्राप्यों के अनिर्धारण/कम निर्धारण तथा असंग्रहण के उदाहरणों से स्पष्ट है। जिसके अभाव में यह आश्वासन कि अन्तिम निर्बाधन केवल उन मामलों में दिए गए थे जिनमें सैद्धान्तिक निर्बाधनों की सभी शर्तें पूर्ण की गई थीं, स्थापित नहीं किया जा सकता।

यह तथ्य कि नमूना जांच के आधार पर इस अध्याय में यथा सूचित कम वसूलित/अवसूलित एनपीवी/सीए/एसीए/पीसीए/सीएटी योजना राशि ₹ 5311.16 करोड़ अर्थात 31 मार्च 2012 तक तदर्थ कैम्पा के पास कुल मूल राशि का 23 प्रतिशत थी, प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्य एनपीवी/सीए आदि की राशि निर्धारित करने और अन्तिम निर्बाधन देने से पूर्व इसका संग्रहण सुनिश्चित करने में गंभीर विसंगतियों का संकेत है।